हर्षवर्धन सिंह आदि **बनाम** गुरनाम सिंह आदि
अन्तर्गत धारा 212 आरटीए नम्बर 22 सन् 2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2024/120

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
09.05.2024	प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेम कुमार उपस्थित आए व सहमति का जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश किया। नकल प्रार्थी अधिवक्ता को दिलाई गई। सामिल मिसल रहे। प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र अर्ज किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए स्वीकार किया जाता है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उभयपक्ष अधिवक्तागण को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में होना प्रतीत होता है। अतः इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि अप्रार्थीगण **ताफैसला मूलवाद चक 3 वीं की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 07/07 के मुरब्बा नम्बर 53 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक की पश्चिमी दिशा 1–1 बिस्वा भूमि में चल रहे रास्ता की मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे अर्थात इसका बेचान, रहन एंव हस्तान्तरण नहीं करे।** पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ सलंग्न हो। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर) राजस्थान